

एसबी आदेश सं. 15/2022

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट-1)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29.09.2022 / 06.10.2022

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

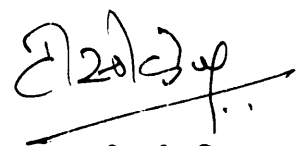
विषय : 01.10.2022 से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन।

महोदया / महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन) द्वारा कार्यालय जापन सं. 01/04/2019-एनएस दिनांक 29.09.2022 (प्रति संलग्न) के तहत, यह सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही (01 अक्टूबर, 2022 से आरंभ होकर 31.12.2022 को समाप्त होने वाली) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) की ब्याज दरों में किया गया संशोधन निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | लिखत/योजना                 | 01.07.2022 से<br>30.09.2022 तक<br>ब्याज दर | 01.10.2022 से<br>31.12.2022 तक ब्याज<br>दर |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.       | डाकघर बचत खाता             | 4.0                                        | 4.0                                        |
| 2.       | 1 वर्षीय सावधि जमा         | 5.5                                        | 5.5                                        |
| 3.       | 2 वर्षीय सावधि जमा         | 5.5                                        | 5.7                                        |
| 4.       | 3 वर्षीय सावधि जमा         | 5.5                                        | 5.8                                        |
| 5.       | 5 वर्षीय सावधि जमा         | 6.7                                        | 6.7                                        |
| 6.       | 5 वर्षीय आवर्ती जमा        | 5.8                                        | 5.8                                        |
| 7.       | वरिष्ठ नागरिक बचत योजना    | 7.4                                        | 7.6                                        |
| 8.       | मासिक आय खाता योजना        | 6.6                                        | 6.7                                        |
| 9.       | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 7.6                                        | 7.6                                        |
| 10.      | लोक भविष्य निधि योजना      | 7.1                                        | 7.1                                        |
| 11.      | राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र  | 6.8                                        | 6.8                                        |
| 12.      | किसान विकास पत्र           | 6.9<br>(124 माह में<br>परिपक्व होगा)       | 7.0<br>(123 माह में<br>परिपक्व होगा)       |

2. अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक मार्गदर्शन हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के सार्वजनिक क्षेत्र में लगे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए। संगत गणना तालिकाएं, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त होने पर, यथासमय उपलब्ध करा दी जाएंगी।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(टी. सी. विजयन)

सहायक निदेशक (एसबी-1)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।



(टी. सी. विजयन)

सहायक निदेशक (एसबी-1)